IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

The State of Jharkhand
V/s
Anup Ranjan Shrivastav

Order sheet dated ....To.................................

Case No- **23/24-25**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.
12/12/24		

आदेश

यह Confiscation Case No- 23/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. अनुप रंजन श्रीवास्तव में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1352/अप0शा0 दिनांक 02.09.2024 के द्वारा सेन्हा थाना काण्ड सं0 51/2024 दिनांक 09.07.2024 के आलोक में धारा 303(3)/317(2) भा0न्या0सं0 4/21 खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन –1957 एवं 09 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारन–2017) एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 तथा 26 एन0जी0टी0 एक्ट में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।

वाहन की विवरणी

क्र0	वाहन के प्रकार (मोडल नं0)	वाहन सं0	चेचिस नंबर	ईंजन नंबर	मालिक का नाम/पता
01.	-	JH02AS-1552	MAT448187HAF05994	71F84394275	अनुप रंजन श्रीवास्तव, पिता– अरुण कुमार सिन्हा, सा0–बेलबगान नया टोली सामलॉन्ग, जिला–राँची।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।

मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond

Scanned with OKEN Scanner

Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

Digitally signed by Waghmare Prasad Krishna
Date: 2025.01.25 12:52:04 +05:30
Location: 192.168.29.123

Scanned with OKEN Scanner